

जैन दर्शन मानवाधिकार शिक्षा की आधारपीठिका पर एक अध्ययन

विजया रानी वर्मा¹

¹ शोधार्थी (शिक्षा शास्त्र), CRET 2018, नांमकन सं० –NGB-18-D/EDU-027,
नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनीवर्सिटी, प्रयागराज।

प्रस्तावना

संसार में समस्त जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक, बुद्धि के आधार पर अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता है। विचारशील प्राणी होने के कारण मनुष्य का मन जिज्ञासाओं से परिपूर्ण है एवं उसका मस्तिक प्रश्नों के भण्डारों से भरा पड़ा है। इन विचारों के एवं जिज्ञासाओं के सहारे ही मनुष्य अपने आपको विकसित एवं व्यवस्थित करता है। मानव जीवन का प्रकृति एवं समाज दोनों से ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दोनों के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व सम्भव नहीं है। मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येकपक्ष से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु चिन्तन, मन का सहारा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति विचारोपरान्त ही किसी अन्तिम निर्णय की ओर पहुँचता है। किसी भी समस्या या सत्य की पहचान हेतु तार्किक चिन्तन आवश्यक है। यह तार्किक चिन्तननये नियमों एवं सिद्धान्तों की खोज में भीमहत्व पूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दर्शन की श्रेणी में आते हैं अर्थात् मानव जीवन का प्रत्येकपक्ष दर्शन से प्रभावित होता है।

समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा अति आवश्यक है और हमारी समस्त शिक्षा प्रक्रिया दर्शन द्वारा प्रभावित होती है। दर्शन मानव विकास हेतु मूल्यों एवं सिद्धान्तों का निर्धारण करता है और मनुष्य शिक्षा के माध्यम से इन्हें आत्मसात करता है।

प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को जीवन और जीवन से सम्बन्धित अनेक अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का आभास कर स्वयं अपना, मानव जाति का तथा देश एवं राष्ट्र का विकास करता है। मनुष्य को संवैधानिक एवं प्राकृतिक रूप से अनेक अधिकार प्राप्त हैं जो अधिकार प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं वही मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। मानवाधिकार का सम्बन्ध मानव के जन्म से ही प्रारम्भ हो जाता है एवं जीवन पर्यन्त चलता रहता है।

मानवअधिकार की धारणा अति प्राचीन है। हमारे मनीषियों ने कई हजारों वर्षों पूर्व ही “वसुधैवकुटुम्बकम्” (समस्त मानवजाति एक परिवार) का सन्देश दिया था। विश्व के देशों में रहने

वाले लोगों में भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी एक समानता है-वह है सब का एक ही जाति यानि मानवजाति का होना और इस नाते पूरे विश्व में रहने वाले लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं।

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार मनुष्य को प्राकृतिक रूप में समान रूप से प्राप्त हुए हैं। इसका सम्बन्ध स्त्री, पुरुष, जाति, धर्म, स्थान आदि सभी में समान रूप से है। साथ ही इन पर रीति-रिवाजों, कानून, राज्य या किसी अन्य संस्था का प्रभाव नहीं पड़ता।

विश्व का प्रत्येक धर्म मानव जाति को सिर्फ एक ही शिक्षा देता है। वह है सत्कर्मों का अनुसरण। इन सत्कर्मों का अनुसरण करते हुए मनुष्य लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने मानव धर्म के कर्तव्यों को पूर्ण करता है साथ ही अन्य लोगों को भी इनके प्रति जागरूक करके उनके कर्तव्यों तथा अधिकार से अवगत कराता है। प्राचीन शिक्षा प्राणाली से लेकर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तक शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। किसी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य किसी भी कारण से मनुष्य को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक एवं संवैधानिक रूप से मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त हैं इसकी जानकारी भी शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

सम्बन्धित साहित्य का समीक्षा

गुहादेबलीना (2019)

इस शोध के अनुसार स्थायी मानव विकास के लिए समकालीन चुनौतियों को संबोधित करने और मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर छात्रों के दृष्टिकोण की जांच करके मानव अधिकारों के संरक्षण में सिद्धांत और व्यवहार के बीच लगातार अंतर को पाटने के लिए मानवाधिकार शिक्षा आवश्यक है।

कुमार, प्रदीप (2015)

इन्होंने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष में यह प्राप्त किया कि वर्तमान में मानव अधिकार जीवन का एक तरीका और एक सामाजिक अनुबंध बनता जा रहा है शिष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने में इसलिए इसके लिए अवसरों का विस्तार करना महत्वपूर्ण है पूर्व सेवा के माध्यम से सभी शिक्षक समुदाय के लिए मानव अधिकार शिक्षा और सेवा कार्यक्रम आवश्यक है।

लीफोर्ड, बाब (2007)

अपने लेख में इस सम्बन्ध उन्होंने धार्मिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने तथा धार्मिक विश्वासों के कारण व्यक्ति विशेष के मानवाधिकार की अवहेलना करने वाले देशों या उन संस्थाओं की आलोचना करता है हुए यह स्पष्ट किया है कि विगत कुछ वर्षों में धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के प्रति मानवाधिकार द्वारा समुचित प्रयास किया जा रहा है।

मिश्र, अमरेन्द्र कुमार (2007)

“मानवाधिकार मानव मूल्यों का रक्षक” नामक लेख में बताया है कि मानवाधिकारों के संरक्षण व उनके प्रति आदर व चिन्त आज के समय की मांग है। मानवाधिकारों के प्रति किसी भी व्यक्ति की उदारिणता का प्रमुख कारण है- शिक्षा का अभाव।

मैथ्यू, वी.एस. (2006)

“परम्परा, संस्कृति और मानवाधिकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण” पार एक लेख लिखा। उनका कहना है कि प्राचीन काल के स्वरूप रीति-रिवाजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनाना है। जिससे हम अपनी सम्यता और संस्कृति की भी रक्षा कर सकें और मानवीय तथा वैज्ञानिक सोच भी विकसित कर सकें।

जैन दर्शन

जैन परम्परा के अनुसार जैन दर्शन अनादि से है जो समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों द्वारा परिवर्तित होता रहा है। इस काल चक्र में जैन दर्शन का प्रवर्तन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने किया था। वे बहु त प्राचीन है। ऋग्वेद में अनेक रचनाओं में ऋषभदेव को सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया है।

जैन धर्म अर्थात् प्राणी धर्म मानवाधिकार का ही पर्याय है। जैन दर्शन का प्रत्येक सिद्धान्त, प्रत्येक वाक्य प्राणी-हित की बात करता है। जैन दर्शन आचरण की पवित्रता तथा श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वाह की शिक्षा भी देता है। मध्यकालीन मानव कर्तव्यों की छाया में जीता था लेकिन आज का मानव मुख्य रूप से मानव अधिकारों की छाया में जीता है।

मानव कर्तव्यों को तो विस्मृत कर रहा है और अधिकारों की रट लगाये हुए है। अगर प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह उचित प्रकार से करता है तो अन्य व्यक्ति को अधिकार स्वतः ही मिल जायेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति अहिंसादि पंचव्रतों का पालन करे तो अन्य जन को कदापि कष्ट नहीं होगा और इस रूप में उसे जीने की अधिकार स्वतः ही मिल जायेगा।

जैन दर्शन अहिंसादि पाँच व्रतों के पालन से शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाये हुए है। जैन दर्शन की मान्यतानुसार अहिंसा का मूलाधार आत्म सत्य है। प्रत्येक आत्मा चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल, स्थावर हो या त्रस, तात्त्विक दृष्टि से समान हैं। अगर प्रत्येक मनुष्य दूसरे को स्वयं के समान ही समझेगा तथा यह मानेगा कि जिस प्रकार वह अपने जीवन की रक्षा व विकास चाहता है उसी प्रकार अन्य प्राणी भी चाहते हैं तो इस दार्शनिक तथ्य को समझने के बाद वह अन्य का शोषण नहीं करेगा तथा इस प्रकार मानव अधिकारों का संरक्षण व संवर्धन करेगा। अहिंसा व्रत का पालन कर बाल शोषण समाप्त किया जा सकता है। अपने आश्रितों को पीड़ा पहुँचाना तथा क्षमता से अधिक कार्य लेना अहिंसाव्रत का पीड़न नामक अतिचार है। अगर इस अतिचार का त्याग कर दिया जाये तो बेगार प्रथा तथा बाल शोषण स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रतीत होता है कि जैनाचार्यों ने भविष्य की कल्पना पहले ही अपने ग्रन्थों में कर ली थी, जिससे कालान्तर में संविधान ने अपनी मोहर से संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी।

श्री० जे० एल जैनी के अनुसार:-

“जैन दर्शन का मूलमंत्र है ज्ञान के लिए जीवन नहीं, बल्कि जीवन के लिए ज्ञान”।

डा० राधा कृष्णन के अनुसार:-

“जैनमत उन सब सिद्धान्तों के विरोध में है, जो नैतिक उत्तरदायित्व पर बल नहीं देते

प्रो० हरियत्ना के अनुसार:-

“सच्ची बात यह है कि जैनदर्शन का लक्ष्य आत्मा को पूर्ण बनाना है, न कि विश्व की व्याख्या करना।

मानवाधिकार शिक्षा

वस्तुतः मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते सामाजिक वातावरण में रहते हुए जीवन में विकास एवं उत्कर्ष के लिए प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों का उपयोग कर मानव अपनी शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोगी आवश्यकताओं की निर्बाध रूप से पूर्ति कर

व्यक्तित्व का समग्र विकास करने में समर्थ हो पाता है। संक्षेप में, मानवोन्नयन एवं उत्कर्ष के लिए जो सुविधाएँ और नियम ईश्वर, समाज व राज्य की ओर से प्राप्त हैं, उन्हें अधिकार कहते हैं।

सृष्टि प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न विचारकों ने मानव के कर्म, स्वभाव और अधिकार की विवेचना की है, वेद अपौरुषेय होने के कारण, सम्प्रदाय, पन्थ और मत-मतान्तरों से रहित है। उसमें मानवता के विधायक तत्वों के विश्लेषण का वैज्ञानिक विवेचन है। मानव-मन संकल्प वाला है, संकल्प कार्य करने की सामर्थ्य का नाम अधिकार है, ये अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं तथा सृष्टि के आदि काल से ही प्रत्येक मानव को प्राप्त हैं। यदि सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं होता तो सृष्टि- सृजन निरर्थक होता। सृष्टि विवेचन से विदित होता है कि इसका सृजन प्राणिमात्र के सुखार्थ के लिए है। वेद सृष्टि का संविधान है, तो यह कैसे हो सकता है कि सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी मानव के अधिकारों का उसमें वर्णन न किया गया हो।

मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति होने के कारण विचारकों, दार्शनिकों का केन्द्र-बिन्दु रहा है। समय-समय पर उत्पन्न हुए विभिन्न मनीषियों ने वैदिक शिक्षा से जीवन दृष्टि प्राप्त की और संसार को जीवन दर्शन की सर्वोत्तम शिक्षा का संदेश दिया। इन्हीं मनीषियों की सूची के अन्तर्गत, बौद्ध दर्शन को प्रवर्तक महात्मा बुद्ध तथा जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव भी आते हैं। इस प्रकार वेद मानवीय मूल्यों का आदि प्रेरक है, विश्व के मानवमात्र की संस्कृति है, उसमें मानवाधिकार की संकल्पना है।

मानव अधिकारों से अभिप्राय "मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनैतिक अधिकार सम्मिलित हैं। जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार।

जे0ई0एस0 फॉसेट के अनुसार, "मानव अधिकार कभी-कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य तथा नारी दोनों से सम्बन्धित हैं। साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं।"

हैरी थांड के अनुसार, “मानवाधिकार वे माँगें हैं जो हमें अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप विकास करने तथा अपनी मूलभूतमानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाती हैं। ये वे आदर्श हैं जो अच्छे मानव अस्तित्व के लिए मानवता के सम्मान, आदर, न्याय, सुरक्षा और स्वतन्त्रता के लिए बढ़ती हुई माँग पर आधारित हैं। सभी मानवाधिकारों का आवश्यक तत्त्व यह है कि उनका सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति के साथ है और वे मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जिनका हनन नहीं किया जा सकता है।”

जैन दर्शन एवं मानवाधिकार शिक्षा

भारतीय दर्शन में अनेकों ऐसे हितकारी सुझाव हैं जिनके प्रयोग से मानव जीवन की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। जब-जब मानव समाज में कभी भी अस्थिरता की स्थिति आयी है तब-तब हमारे समाज के महापुरुषों ने समाज में मनुष्यों को मानवाधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराया है। आज मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या मानवीय मूल्यों का द्वारा एवं स्वार्थ परिता, भेदभाव, साम्प्रदायिक विचारधार आदि हैं।

क्या है अनेकांत का सिद्धांत

अनेकांत शब्द अनेक अन्त से मिलकर बना है अनेक का अर्थ होता है-एक से अधि, और अन्त का अर्थ होता है धर्म (स्वभाव)। अर्थात्, अनेकान्त सिद्धांत सह-अस्तित्व, समन्वय, समानता एवं स्वतंत्रता पर बल देता है (ऋजुप्रजा.2015,133-114)। अनेकांत का सिद्धांत अनेकता में एकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दर्शन विभिन्न विरोधाभासी मतों के सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है विरोधाभासी मतों में आपस में सामंजस्य बैठकर यह सिद्धांत संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकता है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनेक विमितीय होता है। अनेकान्तवाद का सिद्धांत मानता है की सम्पूर्ण सत्य होता है, किन्तु इसे न तो पूर्णतयः देखा जा सकता है और न ही पूर्णतयः अभिव्यक्त किया जा सकता है। हमारी अवधारणा, विचार और अभिव्यंजना, समय और स्थान द्वारा प्रभावित होती है अतः हम एक समय और स्थान पर सिर्फ सत्य का एक ही रूप देख पाते हैं। किसी भी वस्तु या स्थिति की समझ उससे सम्बन्धित ज्ञान के माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे यदि हम किसी भी विचार से सम्बन्धित सकारात्मक साहित्य पढ़ते हैं तो हमें उस विचार सकारात्मकता दिखती है जबकि यदि हम उस विचार के नकारात्मक साहित्य को पढ़ेंगे तो हमें उस विचार में नकारात्मकता ही दिखेगी (शशिप्रजा. 2015,प.टपपद्ध।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में मानवाधिकारों की रक्षा करना, और मानव परिवेश को सुरक्षित रखना कठिन होता जा रहा है। यदि इस पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाये तो स्पष्ट होता है कि हमारी सोच-अभी भी अविकसित एवं संकुचित है हम सभी गलत दिशा में भटक रहे हैं। हमारे लिए उपयुक्त मार्ग क्या हो सकता है जिन पर चलकर हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। यदि हम अपनी पारंपरिक विचारधाराओं की धरोहरों पर नजर डालें तो जैन दर्शन को विचार समाधान के रूप में हमारे सामने उपस्थिति है। इस प्रकाश कुंज के माध्यम से मानव जीवन के अन्हाकार को समाप्त कर प्रकाश से परिपूर्ण किया जा सकता है।

अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता कि मानवाधिकार शिक्षा में उप्पन्न होने वाली चुनौतियों को जैन दर्शन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन के पांच व्रतों के माध्यम से आत्म साधना द्वारा धर्मों का अनुसरण कर प्रकृति के साथ सन्तुलन स्थापित कर मानव के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2003), “मानवाधिकार संरक्षण: अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास और सम्भावनाएँ”, चाणक्य सिविल सर्विसेज, (जनवरी): 25-28.
2. ठाकरे, रश्मि (2007), “ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन सेकेण्डरी स्कूल्स”, एशियन इन्स्टीट्यूट आफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इण्टरनेशनल हाउस, भोपाल, 8 (1): 26-28.
3. प्रसाद, सूर्यनाथ (2007), “ह्यूमन राइट्स एण्ड ग्लोबल पीस”, एशियन इन्स्टीट्यूट आफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इण्टरनेशनल हाउस, भोपाल, 8 (1): 47-48.
4. सारस्वत, ऋतु, (2007), “एड्स की राके थाम मे मानवाधिकार एक सफल प्रयास”, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली, (दिसम्बर): 4-7.
5. शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठीभूमि (1986) राम शकल पाण्डेय, विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन, आगरा-2.
6. विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री (2002) राम शकल पाण्डेय, प्रकाशक-विनोद पुस्तक मंदिर, अगरा-2.
7. कौल, लोकेश (2010) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली विकास पब्लिकेशन हाउस प्रा0 लि0 नई दिल्ली।

8. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/26539>.
9. <https://ni.m.wikipedia.org>.
10. <https://www.google.co.in>.
11. शर्मा, एल.पी. (2011) मध्यकालीन भारत: लक्ष्मीनारायण अग्रवाल।
12. चन्द्रा, बी. (2009). आधुनिक भारत का इतिहास.नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड।
13. ऋजुप्रजा, समणी,(2015). जैन संस्कृति और जीवन मूल्यद्य राजस्थानरू जैन विश्वभारती संस्थान।